न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 69/2025

प्रार्थीगण — **बनाम** — विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. गोरधनराम पुत्र फुआराम
2. चेनाराम पुत्र फुआराम
3. तलाराम पुत्र फुआराम
4. पेमाराम पुत्र फुआराम
5. सतीशकुमार पुत्र फुआराम
6. कसुम्बीदेवी पुत्री फुआराम
7. ममताकुमारी पुत्री फुआराम
8. मोकीदेवी पत्नि फुआराम

जातियान माली निवासी श्रीराम नगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. नारायणाराम पुत्र सवाराम, जाति माली निवासी :– जेतेश्वर धाम तह. सिणधरी, जि. बालोतरा
2. मुलाराम पुत्र खुबाराम
3. देवाराम पुत्र मुलाराम
4. चोखाराम पुत्र चेतनराम
5. जालाराम पुत्र चेतनराम
6. ठाकराराम पुत्र चेतनराम
7. भगवानाराम पुत्र चेतनराम
8. बाली पत्नि चेतनराम
9. चतरूदेवी पत्नि वेहनाराम
10. चम्पालाल पुत्र वेहनाराम
11. पेमाराम पुत्र वेहनाराम
12. भंवराराम पुत्र वेहनाराम
13. जीयाराम पुत्र चूनाराम
14. चेनाराम पुत्र करनाराम
15. जीयाराम पुत्र चूनाराम
16. तिलाराम पुत्र चूनाराम
17. भारमलराम पुत्र देदाराम
18. भोमाराम पुत्र चूनाराम
19. लाछीदेवी पत्नि चूनाराम
20. सताराम पुत्र करनाराम
21. चतरूदेवी पत्नि विशनाराम जातियान जाट निवासी श्रीराम नगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
22. चोथाराम पुत्र वगताराम
23. लालाराम पुत्र वगताराम जातियान माली निवासी [illegible] नगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
24. तहसीलदार [illegible] जिला बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उपस्थिति–

1. श्री सवाईराम सियाग, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी संख्या 24 के पेरोकार उपस्थित तथा शेष एकतरफा।

आदेश

दिनांक 02.07.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द ग्राम श्रीराम नगर में खसरा संख्या 84 रकबा 3.1713 हैक्टेयर व खसरा संख्या 88 रकबा 25.4026 हैक्टयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द ग्राम श्रीराम नगर में खसरा संख्या 84 रकबा 3.1713 हैक्टेयर व खसरा संख्या 88 रकबा 25.4026 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द ग्राम श्रीराम नगर में खसरा संख्या 84 रकबा 3.1713 हैक्टेयर व खसरा संख्या 88 रकबा 25.4026 हैक्टयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्र[illegible] तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द ग्राम श्रीराम नगर में खसरा संख्या [illegible] रकबा [illegible]13 हैक्टेयर व खसरा संख्या 88 रकबा 25.4026 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के [illegible]श फरमाये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:50 IST
Reason: SelfAttested

4. हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर [illegible]ब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द ग्राम श्रीराम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

नगर में खसरा संख्या 84 रकबा 3.1713 हैक्टेयर व खसरा संख्या 88 रकबा 25.4026 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है. इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला खुर्द ग्राम श्रीराम नगर में खसरा संख्या 84 रकबा 3.1713 हैक्टेयर व खसरा संख्या 88 रकबा 25.4026 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 02.07.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:50 IST
Reason: SelfAttested